बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य-प्रदेश

निगरानी प्र.क्र. 1/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/2157

1. छन्नू तनय बल्दुआ कुर्मी,
2. किशोरी तनय बल्दुआ कुर्मी,
3. मुलू तनय बल्दुआ कुर्मी,

समस्त निवासीगण/ग्राम बेनीगंज, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 ---- निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सुन्नी तनय गोपाल कुर्मी,
2. नर्मदा तनय रामदयाल कुर्मी,
3. छोटेलाल तनय गोरेलाल कुर्मी,
4. हरसेवक तनय गोरेलाल कुर्मी,
5. लक्ष्मी तनय गोरेलाल कुर्मी
6. घूराम तनय सुन्नी कुर्मी,
7. ललतिया पुत्री गनेशा कुर्मी,
8. जमुनिया पत्नि गोरेलाल कुर्मी,
9. बंशी तनय राजाराम कुर्मी,
10. मुरलीधर तनय राजाराम कुर्मी,
11. पुष्पेन्द्र तनय रामाधार कुर्मी,
12. रामबाबू तनय नर्मदा कुर्मी
13. हल्कीबाई पुत्री मोहनलाल कुर्मी,
14. निम्मा पुत्री मोहनलाल कुर्मी,
15. दीनदयाल तनय बल्दुआ कुर्मी,
16. मुलू तनय बल्दुआ कुर्मी,
17. धनुवा तनय कम्मोदा कुर्मी,
18. बसंता तनय कम्मोदा कुर्मी,
19. महादेव तनय कम्मोदा कुर्मी,
20. बिहारी तनय कम्मोदा कुर्मी

समस्त निवासीगण/ग्राम बेनीगंज तह. राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 --- उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

श्री मुकेश आर्य अभि० द्वारा आज दि. 3-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश आर्य
3-4-18 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्र.क्र. 104/अपील/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक- 12.3.2018 के विरूद्ध

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित कारणो पर यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदित है :-

1. यहकि निगरानीकर्तागण के द्वारा नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के प्र.क्र. 44/अ-27/02-03 मे पारित आदेश दि. 16.6.03 के विरूद्ध अनु० विभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 28.6.017को अपील प्रस्तुत की गई थी । अपील के साथ म्याद अधिनियम धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं चूंकि निगरानीकर्तागण को नायब तहसीलदार की न्यायालय मे बटवारे का प्रकरण मे निगरानीकर्तागण को पक्षकार नही बनाया गया है बिना निगरानीकर्तागण को पक्षकार बनाये नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के द्वारा बटवारा आदेश पारित कर दिया गया । चूंकि निगरानीकर्तागण का उक्त भूमि मे हिस्सा व हक है राजस्व अभिलेख मे निगरानीकर्तागण का नाम अपने हक पर नामकित है और उत्तरवादीगण के द्वारा खाता का विभाजन निगरानीकर्तागण से छिपाकर आदेश पारित कराकर गुप्त रूप से रखा गया जब उक्त विभाजन का अमल कराने के लिये पटवारी के यहा गैरनिगरानीकर्तागण क्र. 16,एवं 20 पहुचे तब निगरानीकर्तागण को उक्त आदेश की जानकारी हुई । तब निगरानीकर्तागण उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी की न्यायालय मे मय धारा 5 के आवेदन सहित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त धारा -5 समयावधि का आवेदन बिना किसी कारण के दि. 12.2.018 को निरस्त कर दिया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2157

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्होंने निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किए जाने का अनुरोध किया, उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आवेदक को वापिस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। **प्रशासकीय सदस्य**	